

गंभीर तिरस्कार

यदि तिरस्कार में किसी व्यक्ति या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी शामिल है, या दूसरों को किसी व्यक्ति या उनकी संपत्ति को शारीरिक नुकसान पहुंचाने की धमकी देने के लिए उकसाना शामिल है, तो यह एक आपराधिक अपराध है। इसे गंभीर तिरस्कार कहा जाता है और इसकी सूचना पुलिस को दी जानी चाहिए।

उदाहरण:

एक शांतिपूर्ण रैली के दौरान, जनता का एक गैर-भाग लेने वाला सदस्य समूह के प्रति हिंसा की धमकी देता है और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। हिंसा की ये धमकी समूह की धार्मिक और जातीय पहचान पर आधारित है।

गंभीर बदनामी के दोषी व्यक्ति को तीन साल तक की संभावित जेल की सजा का सामना करना पड़ सकता है।

रिपोर्ट करते समय क्या अपेक्षा करें

किसी घटना की रिपोर्ट करते समय, आपको अपना स्थान (लोकेशन) प्रदान करना चाहिए और वर्णन करना चाहिए कि आपने क्या अनुभव किया या देखा है। प्रारंभिक जांच के दौरान, पुलिस पीड़ितों और गवाहों से पूछताछ कर सकती है, विवरण रिकॉर्ड कर सकती है, पीड़ित की सुरक्षा की आवश्यकता का आकलन कर सकती है और भौतिक साक्ष्य एकत्र कर सकती है। यद्यपि आप गुमनाम रह सकते हैं, यह प्रभावित कर सकता है कि पुलिस जांच के साथ कैसे आगे बढ़ती है। आपको अपने आस-पास होने वाले किसी भी घृणा से प्रेरित अपराधों की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

रिपोर्ट करने के विकल्प

यदि आपको लगता है कि आपके या किसी और के खिलाफ किया गया अपराध नफरत से प्रेरित था, तो आप निम्नलिखित तरीकों से इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं:

- **आपातकालीन:** यदि कोई अपराध अभी हो रहा है, तो ट्रिपल ज़ीरो (000) पर कॉल करें।
- **पुलिसलिंक:** अपराध की रिपोर्ट ऑनलाइन police.qld.gov.au/policelink-reporting पर करें या 131 444 पर कॉल करें।
- **क्राइम स्टॉपर्स:** गैर-जरूरी आपराधिक गतिविधि या संदिग्ध गतिविधि की गुप्त रिपोर्टिंग के लिए crimestoppersqld.com.au पर जाएं या 1800 333 000 पर कॉल करें।
- **व्यक्तिगत रूप से:** आप किसी भी पुलिस स्टेशन में व्यक्तिगत रूप से अपराध की रिपोर्ट कर सकते हैं।

आप **क्वींसलैंड मानवाधिकार आयोग** से 1300 130 670 पर कॉल करके या qhrc.qld.gov.au पर ऑनलाइन जाकर भी संपर्क कर सकते हैं।



नफरत के कारण किया गया अपराध

क्या आप नफरत के कारण किए गए अपराधों के बारे में कानून से अवगत हैं?



अपने अधिकारों और उपलब्ध रिपोर्टिंग विकल्पों को पहचानें।



घृणा अपराध को समझना

घृणा अपराध नफरत से प्रेरित एक आपराधिक कृत्य है और किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की विशेषताओं के खिलाफ पूर्वधारणा या पक्षपात के आधार पर किया जाता है

घृणा अपराधों में शामिल हो सकते हैं:

- **अपमानजनक शब्द या व्यवहार**
अपशब्द कहना या किसी को उनकी विशिष्टता के कारण धमकी देना
- **शारीरिक हमला या हिंसा**
मुक्का मारना, मारना, थूकना, थप्पड़ मारना, लात मारना, हथियारों का उपयोग करना, बलात्कार, हत्या या धमकी देना
- **संपत्ति को नुकसान**
बर्बरता, आगजनी, आपत्तिजनक भित्तिचित्र, कब्रों या पूजा स्थलों को अपवित्र करना
- **उत्पीड़न**
झूठी शिकायतें, पीछा करना, लगातार फोन कॉल, ईमेल या टेक्स्ट संदेश करना
- **ऑनलाइन अपराध**
लोगों या अल्पसंख्यक समूहों को लक्षित करने वाले घृणास्पद संदेश या पोस्ट, जिनमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल हैं, जो सीधे आपको प्रभावित करते हैं।

घृणा अपराध पीड़ितों की विशेषताओं को लक्षित करते हैं और इसमें शामिल हो सकते हैं:

- **जाति**
- **लैंगिकता**
- **सेक्स विशेषताएं**
- **धर्म**
- **लिंग पहचान**

हम नफरत से प्रेरित किसी भी घटना का अनुभव करने वाले किसी भी व्यक्ति को पुलिस को इसकी रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं।

उदाहरण:

एक दुकान के मालिक की उनकी लिंग पहचान के कारण एक ग्राहक द्वारा उनकी दुकान की खिड़की तोड़ देना।

भेदभाव और गैरकानूनी तिरस्कार को समझना

क्वींसलैंड के भेदभाव कानून सभी के साथ उचित व्यवहार करने के बारे में हैं। यदि आपके बारे में किसी चीज़ के कारण आपके साथ गलत व्यवहार किया जाता है, तो यह भेदभाव या गैरकानूनी तिरस्कार हो सकती है। हालांकि ये घटनाएं एक आपराधिक अपराध की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती हैं, फिर भी यह व्यवहार क्वींसलैंड कानून के तहत निषिद्ध है।

गैरकानूनी निंदा तब होती है जब कोई सार्वजनिक रूप से किसी की जाति, धर्म, कामुकता, सेक्स विशेषताओं या लिंग पहचान के कारण उनके प्रति घृणा, गंभीर अवमानना या गंभीर उपहास प्रकट करता है। इसमें ऑनलाइन दुर्व्यवहार या सड़क पर किसी को परेशान करने जैसी चीजें शामिल हैं।

उदाहरण:

एक बड़े प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले एक सांस्कृतिक रूप से विविध व्यक्ति को अन्य प्रशिक्षकों और पाठ्यक्रम के सदस्यों के सामने मुख्य प्रशिक्षक द्वारा जातीय रूप से अपमानजनक नामों से बुलाया गया, जिसके परिणामस्वरूप टिप्पणियों पर हंसी हुई।

भेदभाव तब होता है जब आपकी जाति, लिंग, विकलांगता, धर्म या कामुकता जैसी विशिष्ट विशेषता के कारण काम, स्कूल, सरकार के साथ आपके व्यवहार में, या वस्तुओं और सेवाओं की तलाश में आपके साथ गलत व्यवहार किया जाता है।

उदाहरण:

एक किराये की एजेंसी ने एक ही लिंग के जोड़े को किरायेदारी से इनकार कर दिया, भले ही वे सबसे मजबूत आवेदक थे।

आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या क्वींसलैंड मानवाधिकार आयोग से संपर्क करके शिकायत कर सकते हैं।

